



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP19179179459332T
Certificate Issued Date	: 29-Oct-2021 02:45 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14257204/ SADABAD/ UP-HTR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1425720427910152721383T
Purchased by	: SONVEER SINGH SO OM PRAKASH SINGH
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: GLA AGREEMENT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SONVEER SINGH SO OM PRAKASH SINGH
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: SONVEER SINGH SO OM PRAKASH SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 50 (Fifty only)

Sukhdev Singh
Stamp Vendor
Licence No. 148

E Stamping ACC OD-UP14257204
Taksi-Sadabad, Dist-Hathras



.....Please write or type below this line.....

अनुबन्ध-पत्र

यह कि सोनवीर सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह, निवासी-नगला मैया, नगला दली, सलेमपुर, हाथरस-281306 प्रथम पक्ष एवं जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, एन0एच0-2, चौमुहौं, मथुरा, उ0प्र0 द्वारा कुलसचिव-द्वितीय पक्ष के मध्य भोजन अवशेष (बचा हुआ खाना) को विश्वविद्यालय परिसर से ले जाने हेतु आपसी सहमति से आज दिनांक 30.10.2021 को निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत सात माह की अवधि के लिए निम्न अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है। यह अनुबन्ध 01.11.2021 से 31.05.2022 तक मान्य होगा।

Statutory Alert:

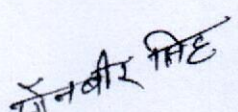
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.sholestamp.com or using a Stamp Mobile App of State Emblem of India.
2. Any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website / Mobile App, rendering it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Competent authority.

- 1- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा जी०एल०ए० विश्वविद्यालय परिसर से अवशेष भोजन/कचरा प्रातः 7:30 बजे से पूर्व एवं शाम को 5:30 बजे के बाद अर्थात् दिन में दो बार परिसर से ले जायेगा।
- 2- यह कि भोजन अवशेष के उपयोग से प्रथम पक्ष के जानवरों आदि को किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो द्वितीय पक्ष कदापि जिम्मेदार नहीं होगा।
- 3- यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को सात माह के भोजन अवशेष का मूल्य रू० 3,00,000/- अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करायेगा।
- 4- यह कि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में द्वितीय पक्ष का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 5- यह कि दोनों पक्ष किसी भी समय एक हफ्ते की सूचना देकर इस अनुबन्ध को निरस्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
- 6- यह कि यह अनुबन्ध हम दोनों पक्षों ने एक दूसरे व गवाहन के समक्ष लिख दिया है तथा एक दूसरे के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जा सके।

प्रथम पक्ष

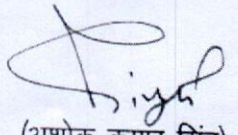
दिनांक

द्वितीय पक्ष


(सोनवीर सिंह)
नगला मैया, नगला दली,
सलेमपुर हाथरस-281306

30.10.2021

गवाहन


(अशोक कुमार सिंह)
कुलसचिव
जी०एल०ए० विश्वविद्यालय